

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची - 834001

विज्ञापन

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि :-08.09.2017

विज्ञापन संख्या- 26/2017

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड के अन्तर्गत राँची पशुचिकित्सा महाविद्यालय में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक (Assistant Professor- cum- Junior Scientist) के पद पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) के इच्छुक अर्हताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. वेतनमान :- 15,600-39,100 + Grade Pay- 6,000/-
2. उम्र गणना की तिथि-01.08.2017 होगी।

उम्र सीमा :- सभी वर्गों के लिए न्यूनतम उम्र 22 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा वर्गवार निम्नवत् है :-

क्र०	वर्ग	उम्रसीमा	दिव्यांगों के लिए उम्र सीमा
1	अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला	40 वर्ष	45 वर्ष
2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) के पुरुष	37 वर्ष	42 वर्ष
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) के महिला	38 वर्ष	43 वर्ष

3. रिक्तियों का विवरण :-

Name of Post	Sl. No.	Name of Department/ Subject	Subject Code	Post Detail		
				ST	BC-I	TOTAL
Assistant Professor- cum- Junior Scientist	1	Agronomy	V-22	01	01	02
	2	Animal Production and Management	V-02	01	-	01
	3	Animal Nutrition	V-03	01	01	02
	4	Veterinary Anatomy	V-04	01	-	01
	5	Veterinary Microbiology	V-07	01	01	02
	6	Veterinary Pharmacology	V-08	01	01	02
	7	Veterinary Gynaecology	V-10	01	01	02
	8	Veterinary Medicine	V-11	-	01	01
	9	Veterinary Public Health and Epidomology	V-13	01	-	01
Total				08	06	14

4. अर्हता :-

Name of Post	Qualification
Assistant Professor-cum- Junior Scientist	<p>(i) Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in a relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited Foreign University.</p> <p>(ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.</p> <p>(iii) Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause, candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions.</p> <p>(iv) NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted.</p>

Note :-

- i. Good Academic Record means at least 55% marks or equivalent grade under grading systems of evaluation in the degree and master level examination. A relaxation of 5% may be allowed at the graduate and master's level for the SC/ST/Differently abled (Physically and visually differently-abled) Categories for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions.
 - ii. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.
 - iii. A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master's Degree prior to 19 September, 1991.
 - iv. For appointment on the posts of teachers/scientist, it would be a basic requirement for the candidate applying for the posts to hold/ possess respective basic professional degree at the Under-graduate level.
5. **Mode of Selection:** - Selection will be made on the basis of academic record and personal interview.

6. आरक्षण :-

- (i) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवारों को चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (iii) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को (झारखण्ड सरकार के पत्रांक-6763 दिनांक-05.08.2016 के अनुसार) उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार जो अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से क्रमशः विभागीय पत्रांक-5682 दिनांक 22.10.2008 एवं विभागीय ज्ञापांक-10007 दिनांक 29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-I अथवा प्रपत्र-II में निर्गत प्राधिकार, प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि का विवरण आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दिया जायेगा। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

- (iv) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है एवं मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. परीक्षा शुल्क :-

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को परीक्षा शुल्क के रूप में रुपये 150/- (एक सौ पचास) मात्र + बैंक चार्ज एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) के उम्मीदवारों को रुपये 600/- (छः सौ) + बैंक चार्ज देय होगा।
- (iii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट हेतु उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (iv) दिव्यांग (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (v) परीक्षा शुल्क प्राप्ति हेतु रसीद आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the interview room, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the interview room.
- (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:

- (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
- (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
- (iii) canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

9. प्रविष्टि :

- (i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210 X 297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट-www.jpssc.gov.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। निर्धारित प्रपत्र से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो, उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।
- (iii) आवेदन-पत्र में रिक्त आयतों का समुचित तरीके से इस प्रकार भरें जैसे :-

- (i) आवेदन में देवनागरी लिपि में नाम. यथा; सचिन कुमार. इस प्रकार भरा जाय -

स	चि	न	कु	मा	र				
---	----	---	----	----	---	--	--	--	--

- (ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें यथा - AMIT KUMAR RAM को बॉक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :-

A	M	I	T	K	U	M	A	R	R	A	M			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

- (iii) उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।
- (v) आवेदक "शैक्षणिक योग्यता" के अधीन 'प्राप्तांक/पूर्णांक एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।
- (vi) आवेदक अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सकें।
- (vii) यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा उसे क्रॉस (x) कर दें।

10. फोटोग्राफ :-

आवेदन पत्र पर नियत आकार का फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटैप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

11. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :-

- (i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट (Visible) स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :-
- 1) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति,
 - 2) आयु संबंधी मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
 - 3) इंटरमीडियट का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
 - 4) स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
 - 5) स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
 - 6) NET/SLET/SET उत्तीर्ण प्रमाण पत्र,
 - 7) पी०एच०डी० प्रमाण पत्र (यदि लागू हो),
 - 8) जाति प्रमाण पत्र,
 - 9) विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
 - 10) अन्य संबंधित अभिलेख जो विज्ञापन के अनुरूप हो।
- (ii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहें हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं०, विषय कोड एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें।

12. अन्य शर्तें :-

- (i) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iii) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (iv) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जायेगा।
- (v) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।
- (vi) साक्षात्कार के समय आवेदन में किये गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. अंतिम तिथि :-

- (i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथों-हाथ (कार्यावधि में) इस प्रकार भेजे कि दिनांक-09.08.2017 से दिनांक-08.09.2017 अपराह्न 5:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, इसके लिए आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
- (iii) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/-

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।